

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-आवास आयुक्त,
उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2-उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3- सचिव,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास
प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 28फरवरी, 2011
विषय: भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1894 (यथासंशोधित) की धारा-17 का प्रयोग
किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश
संख्या-71-1/13-11-7-3(1)/90-59टी0सी0-। दिनांक04.02.2011 (छायाप्रति
संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व विभाग के
संलग्न शासनादेश दिनांक 04.02.2011 में निहित निदेशों का कड़ाई से अनुपालन
करते हुए तदनु रूप ही भूमि अधिग्रहण के सम्बंध में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित
कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

आलोक कुमार
सचिव।


संख्या- (1)/8-3-2011

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित:-

1- आयुक्त एवं निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उत्तर
प्रदेश।

2- अपर निदेशक (नियोजन), आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश को इस आशय से
प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड
करते हुए शासनादेश की प्रतियां सभी सम्बंधित को प्रेषित करने का
कष्ट करें।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय दीप सिंह)
विशेष सचिव।